

एक्सपोज़र ड्राफ्ट

Exposure Draft

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अधिसूचना

NOTIFICATION

हैदराबाद, दिनांक / Hyderabad, the (date)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2022

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of an Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2022

एफ. सं. आईआरडीएआई/ आरईजी/ x/ xx/ xxxx – बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 41) की धारा 14 तथा धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 114क की उपधारा (2) के खंड (झड) और धारा 32घ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः,

(1) विनियम का संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ

क) इस विनियम को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता के दायित्व) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

ख) यह विनियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

ग) यह विनियम साधारण बीमा व्यवसाय और हामीदारी मोटर बीमा व्यवसाय करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता पर लागू होगी।

(2) परिभाषाएँ

क) "अधिनियम" से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्यांक 4) अभिप्रेत है।

ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 41) की धारा 3 के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है।

ग) "मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय" में बाध्यता पॉलिसियों और पैकेज पॉलिसियों के बाध्यता वाले भाग, तथा मोटर पोर्टफोलियो में निर्गमित बण्डल्ड पॉलिसियों से संबंधित मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय शामिल हैं।

घ) "दीर्घावधि मोटर बीमा उत्पाद" से 1 वर्ष से अधिक के कवरेज वाले साधारण बीमा मोटर उत्पाद अभिप्रेत है।

(3) इस विनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों से वही अर्थ अभिप्रेत होंगे जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम संख्यांक 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 41) और क्रमशः उनके अंतर्गत निर्गमित नियम और विनियम में, यथास्थिति, उन्हें दिए गए हैं।

(4) उद्देश्य

इस विनियम का उद्देश्य उस न्यूनतम अन्य पक्ष मोटर बीमा व्यवसाय को विनिर्दिष्ट करना है, जिसकी साधारण बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता द्वारा, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32घ के अंतर्गत हामीदारी करना अपेक्षित है।

(5) बाध्यताएँ

मोटर अन्य पक्ष (एमटीपी) बीमा व्यवसाय के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष (n) के लिए, विनियम 8 में यथापरिभाषित वाहनों की प्रत्येक स्थूल श्रेणी के लिए साधारण बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता की बाध्यता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$O(n) = O(n-1) + \{M(n-2) \times V(n-2) \times I\}$$

क) 'O(n)' = nवें वित्तीय वर्ष में ऐसे बीमाकर्ता की बाध्यता

ख) 'O(n-1)' = (n-1)वें वित्तीय वर्ष में ऐसे बीमाकर्ता की बाध्यता। *लेकिन, इस विनियम के लागू होने के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए O(n-1) बाध्यता, (n-2)वें वित्तीय वर्ष की वास्तविक एमटीपी पॉलिसियों के बराबर होगी।*

ग) 'M(n-2)' = (n-2)वें वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार ऐसे बीमाकर्ता का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (जीडीपीआई) बाजार हिस्सा (प्रतिशत के रूप में व्यक्त)

घ) 'V(n-2)' = (n-2)वें वित्तीय वर्ष के लिए, विनियम 8 में यथापरिभाषित वाहनों की प्रत्येक स्थूल श्रेणी के लिए अ-बीमाकृत वाहनों की, भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबीआई) द्वारा स्वतंत्र रूप से यथानिर्धारित वास्तविक संख्या।

ङ) 'I' = विचाराधीन वर्ष में जिन अ-बीमाकृत वाहनों का बीमा करना आशयित है उनका न्यूनतम प्रतिशत।

(6) विनियम 5 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित 'I' को, (n-2)वें वित्तीय वर्ष में देश में कुल अ-बीमाकृत वाहनों में, विनियम 8 में यथापरिभाषित वाहनों की प्रत्येक स्थूल श्रेणी के वाहनों के योगदान पर उचित रूप से विचार करते हुए, आईआरडीएआई द्वारा प्रति वर्ष निर्धारित और घोषित किया जाएगा।

(7) दीर्घावधि मोटर बीमा उत्पादों के लिए, बीमाकर्ता निम्नलिखित अवधि के लिए क्रेडिट ले सकता है:

क) दुपहिया वाहनों के लिए पाँच/तीन/दो वर्ष जो प्रवर्तमान पॉलिसियों की शेष अवधि पर निर्भर करेगा, और

ख) निजी कारों के लिए तीन वर्ष जो प्रवर्तमान पॉलिसियों की शेष अवधि पर निर्भर करेगा।

(8) जिन श्रेणियों के वाहनों के लिए विनियम 5 में यथा-उपबंधित बाध्यताएँ लागू होंगी, वे हैं:

क) दुपहिया वाहन,

ख) निजी कारें, और

ग) दुपहिया वाहनों और निजी कारों से भिन्न सड़क पर चलने वाले सभी वाहन

(9) छूटें

क) प्राथमिक रूप से साधारण बीमा व्यवसाय और हामीदारी मोटर बीमा व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता को अपने परिचालन के प्रथम दो वर्षों के दौरान बाध्यतामूलक अपेक्षा के लागू होने से छूट दी जाएगी।

ख) प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य, पुनर्बीमा, कृषि, निर्यात ऋण गारंटी का व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ता को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32घ के लागू होने से छूट है।

ग) उखण्ड (क) में विनिर्दिष्ट छूट की अवधि के लिए, ऐसे बीमाकर्ता को अन्य विद्यमान बीमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम बाध्यतामूलक अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु गणना से भी बाहर रखा जाएगा।

(10) मोटर अन्य पक्ष जोखिम की हामीदारी

विनियम 5 मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता की न्यूनतम बाध्यता का निर्धारण करता है। इस निर्धारण के होते हुए भी, किसी भी मामले में साधारण बीमा व्यवसाय करने वाला कोई बीमाकर्ता अपने कार्यालय (यों) में आने वाले किसी भावी पॉलिसीधारक को मोटर अन्य पक्ष बीमा जोखिम को कवर करने वाली 'बाध्यता मात्र' मोटर पॉलिसी की हामीदारी से मना नहीं करेगा।

(11) स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इस विनियम के किसी भी उपबंध के लागू होने अथवा उसके निर्वचन के संबंध में किसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से विषय-वस्तु से सम्बद्ध पूर्णकालिक सदस्य की अनुशंसा पर अध्यक्ष या वरिष्ठतम पूर्णकालिक सदस्य इसमें शामिल किसी भी विषय के संबंध में समय-समय पर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

(12) निरसन और व्यावृत्ति खंड

क) यह विनियम इसके प्रवृत्त होने की तारीख से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता की बाध्यता) विनियम, 2015 का निरसन कर देगी।

ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियम के अंतर्गत निरसन के पूर्व किया गया/ की गई अथवा किया गया/ की गई तात्पर्यित कोई भी कृत्य या कार्रवाई वैध होगा/ होगी।

F. No. IRDAI/Reg/x/xx/xxxx.—In exercise of the powers conferred by clause (ie) of sub section (2) of Section 114A and Section 32D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with Sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) , the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely:-

(1) Short Title, Applicability and Commencement of the Regulations

- a) These Regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of an Insurer in respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2022

- b) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- c) These Regulations shall be applicable to every insurer carrying on general insurance business and underwriting motor insurance business.

(2) Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires: -

- a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as amended from time to time.
- b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under the provisions of Section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999).
- c) "Motor Third Party Insurance Business" consists of the motor third party insurance business in respect of both, the liability only policies as well as the liability portion of the package policies and the bundled policies issued in motor portfolio.
- d) "Long term motor insurance products" means the general insurance motor products that have a coverage period of more than 1 year.

(3) All words and expressions used and not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act, 1938(4 of 1938) or Insurance Regulatory and Development Authority Act,1999(41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules, Regulations issued under those Acts, as the case may be.

(4) Objective

The objective of these Regulations is to specify minimum third party motor insurance business that the insurer carrying on general

insurance business is required to underwrite under section 32D of the Insurance Act, 1938.

(5) Obligations

The Obligation of an Insurer carrying on general insurance business in respect to Motor Third Party(MTP) insurance business for a Financial Year(n), for each category of vehicles as defined in Regulation 8 should be arrived as below:

$$\mathbf{O(n)} = \mathbf{O(n-1)} + \{\mathbf{M(n-2)} \times \mathbf{V(n-2)} \times \mathbf{I}\}$$

- a) **'O(n)'** = The Obligation of such insurer in the nth financial year
- b) **'O(n-1)'** = The Obligation of such insurer in the (n-1)th financial year. *However, for the first financial year of applicability of these Regulations, O(n-1) shall be equal to the actual MTP policies of the (n-2)th financial year*
- c) **'M(n-2)'** = The Gross Direct Premium Income (GDPI) Market Share of such insurer as on 31st March of the (n-2)th financial year (expressed in the form of a percentage)
- d) **'V(n-2)'** = The number of uninsured vehicles as determined by Insurance Information Bureau of India (IIBI) for the (n-2)th financial year expressed in absolute numbers independently for each broad class of vehicles as defined in Regulation 8.
- e) **'I'** = The minimum percentage of the uninsured vehicles intended to be insured in the year under consideration.

(6) The **'I'** as defined in clause (e) of Regulation 5 shall be determined and declared by IRDAI every year for different broad class of vehicles as provided in Regulation 8 in due consideration to the contribution of that

class to total uninsured vehicles in the country in the (n-2)th financial year.

- (7) For long term motor insurance products, the Insurers may take credit for
- a) five/three/two years for two wheelers depending on the remaining term of the policies for which it is in force and
 - b) three years for private cars depending on the remaining term of the policies for which it is in force.
- (8) The categories of vehicles on which the obligations as provided in the Regulation 5 shall be applicable are:
- a) Two-wheelers,
 - b) Private cars, and
 - c) all vehicles plying on the road other than Two-wheelers and Private cars

(9) Exemptions

- a) Any insurer carrying on general insurance business and underwriting motor insurance business shall be exempted from the application of the obligatory requirement during first two financial years of its operations.
- b) Any insurer who is primarily engaged in the business of health, reinsurance, agriculture, export credit guarantee is exempted from the applicability of section 32D of insurance act, 1938.
- c) For the period of exemption specified in sub clause (a) above, such insurer shall also be excluded from the calculations for determining the minimum obligatory requirements for other existing insurers.

(10) Underwriting of Motor Third Party Risk

Regulation 5 stipulates the minimum obligation of an insurer in respect of motor third party insurance business. Notwithstanding this, at no instance any insurer carrying on general insurance business shall refuse to

underwrite the “liability only” motor policy covering motor third party insurance risk to any prospective policyholder coming to its office (s).

(11) Power to issue Clarifications:

In order to remove any difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these Regulations, the Chairperson or Senior-most Whole Time Member (WTM), on the recommendations of the WTM concerned with the subject matter may issue necessary clarifications in respect of any matter covered herein from time to time.

(12) Repeal and Savings clause

- (1) These Regulations shall repeal Insurance Regulatory and Development Authority of India (Obligation of Insurer in Respect of Motor Third Party Insurance Business) Regulations, 2015 from the date these Regulations come into force.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the repealed Regulations, prior to such repeal, shall be valid.